

फर्द अहकॉम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओं.) शिव जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :- श्री नानूराम सैनी आर.ए.एस.

वादी

बनाम


प्रतिवादीगण

गिरधरसिंह पुत्र राणसिंह, जाति- राजपुत
नि० मंगलसर (आंरग), तह० शिव।

1. आईदानसिंह, 2. डूंगरसिंह, 3. नवलसिंह
पिसरान-राणसिंह, 4. श्रीमती रेखाकंवर पत्नी
राणसिंह, जाति- राजपुत, नि० मंगलसर (आंरग)
तहसील शिव।
5. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू।
6. राज० राज्य तहसीलदार एवं पदेन उप पंजियक
शिव।

राजस्व वाद :- 242/2018

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 रा. का. अधि.

दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
29/11/18	वादी के वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह राजस्व वाद धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.12.2018 को पेश हो।	
29/12/18	पत्रावली आज पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय बाहर/अवकाश हैं अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 11/3/19 को पेश हो।	
11/3/19	वादी/प्राधी/अपीलाण्ट वकील उप. इ. रजिस्टर एडी जारी हो। प्रतिवादीगण/विप्राधीगण/रेस्पोंडेण्ट को वकील उप. 1 शेष के सम्मन/नोटिस जारी होकर पत्रावली आईन्दा को पेश हो - 14/5/19	Reg. 11/18 1959-1964 11.4.19
14/5/19	पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि. 21/6/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	


सहायक
कलेक्टर
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

11.9.25

पत्रावली पेश। वहील वारी मनुपास्त्रिह।
पत्रावली में उभावी पैरवी नही होने हेतु
न्यायालय समप में वारी व वारी वहील
को रुक-रुककर भावजि ही जाने के बावजूद
मनुपास्त्रिह। मता पत्रावली में कोई उभावी
पैरवी नही होने तथा वारी व वारी वहील
के मनुपास्त्रिह रहने पर उम्ह वाद मद्रक
छाजरी व मद्रक पैरवी में खारिज किया
जाता है।
पत्रावली नम्बर से कुम छेतर
दाखिल दक्तर है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव